

हर्तों का टकराव

एक केंद्रीय वशिवदियालय के शासी नकाय ने हाल ही में वशिवदियालय के कुलपतपिद के लयि उम्मीदवारों को शॉर्टलसिट करने के उद्देश्य से एक बैठक की। नविरतमान कुलपतभी इस पैनल का हसिसा थे। संयोगवश, कुलपतकी पत्नी, जो शासी नकाय की सदस्य भी हैं, कुलपतपिद के लयि वचाार कयि जा रहे उम्मीदवारों के समूह का हसिसा थी।

दी गई परसिथितिमें, शासी नकाय के सात सदस्यों ने कार्यवाहक कुलपतकी नैतकिता पर सवाल उठाते हुए एक असहमतपित्र परसतुत कयि। असंतुष्ट सदस्यों ने कार्यवाहक कुलपतकी उस बैठक की अधयक्षता करने की नैतकिता पर चतिा व्यक्त की जसिमें उनकी पत्नी को कुलपतपिद के लयि शॉर्टलसिट कयिा गया था। असहमतपित्र में यह तर्क दयिा गया है कयिह स्थिति "Nemo iudex in causa sua" (अर्थात् कसिी को भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहयि) के सदिधांत का उल्लंघन करती है जसिसे हर्तों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

कार्यवाहक कुलपतने परषिद के दो सदस्यों की आपत्तयिों को नजरअंदाज़ करते हुए अपने पक्ष में नरिणय लयिा। उन्होंने तर्क दयिा कइस मामले में कटों के संघर्ष जैसी कोई स्थिति नहीं थी क्यौंक विह परतसिपरद्धा नहीं कर रहे थे, और वह तथा उनकी पत्नी अलग-अलग कानूनी संस्थाएँ हैं। असहमतपित्र में कुलपतकी चयन प्रक्रयिा में नषिपक्षता के सदिधांत का पालन करने के महत्त्व पर ज़ोर दयिा गया है ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके कनरिणय बना कसिी पूर्वाग्रह के लयि जाएँ, चाहे वे वास्तवकि हों या कथति।

क्या एक कार्यवाहक कुलपतके लयि उस बैठक की अधयक्षता करना नैतकि रूप से स्वीकार्य है जसिमें उसका जीवनसाथी एक प्रमुख पद के लयि उम्मीदवार है और संस्थानों को नरिणय लेने की प्रक्रयिाओं में नषिपक्षता एवं पारदर्शति बनाए रखने के लयि हर्तों के संभावति टकराव को कैसे संबोधति कयिा जाना चाहयि?